<u>बजट प्राथमिकता</u>

<u>अनुपूरक बजट 2016-2017</u>

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
संख्या-18/2016/बी-2-1081/दस-2016-244/2016
लखनऊ: दिनाँक: 21 जुलाई, 2016

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिये अनुपूरक अनुदान की माँगें विधान मण्डल के आगामी सत्र में प्रस्तुत किये जाने हेतु अनुपूरक बजट में निम्नाँकित प्रस्तावों को सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है-

(1) राज्य सरकार की प्राथमिकताओं से सम्बन्धित प्रस्ताव।

(2) केन्द्र पोषित योजनाओं से सम्बन्धित ऐसे प्रस्ताव जिनमें केन्द्र सरकार से धनराशि प्राप्त हो चुकी है अथवा प्राप्त होने की सम्भावना है, परन्तु उसके लिये प्रावधान नहीं है।

(3) केन्द्र पोषित योजनाओं से सम्बन्धित जिन मामलों में बजट प्रावधान न होने की स्थिति में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-59(14) के अन्तर्गत पुनर्विनियोग द्वारा वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी की गयी हैं, उन योजनाओं के लिये प्रतीक प्रावधान के प्रस्ताव।

(4) उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिमों की प्रतिपूर्ति के प्रस्ताव।

- आकस्मिकता निधि से अग्रिमों की प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित जिन प्रस्तावों को अनुपूरक बजट में सम्मिलित किया जाना है, उनके सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट कर दिया जाय कि आकस्मिकता निधि से स्वीकृत धनराशि का वास्तविक रूप से आहरण कर लिया गया है। यदि इस सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो यह मान लिया जायेगा कि उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि से अग्रिम लेकर स्वीकृत धनराशि का विभाग द्वारा आहरण कर लिया गया है।

2- यदि अनुपूरक बजट में प्रस्तावित योजनाओं/परियोजनाओं के लिये अन्तर्ग्रस्त व्यय को (जिसमें उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम के प्रतिपूर्ति के प्रस्ताव भी सम्मिलित हैं) सम्बन्धित अनुदान में होने वाली बचतों से ही पूर्णत: अथवा आंशिक रूप से पूरा किया जा सकता हो तो ऐसी स्थिति में

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रतीक प्रावधान अथवा आवश्यक धनराशि (required amount) के प्रावधान किये जाने का ही प्रस्ताव भेजा जाय।

3- प्रस्तर-1 की व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए, प्रशासकीय विभागों द्वारा केवल वे ही प्रस्ताव भेजे जायें, जिनको अनुपूरक अनुदान की माँग में शामिल किया जाना अपरिहार्य हो।

4- अत: अधोहस्ताक्षरी से यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि अनुपूरक बजट के लिये प्रस्ताव, यदि कोई हों, उपरोक्त के अनुसार सम्बन्धित वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभागों को **विलम्बतम दिनांक 29 जुलाई, 2016 तक प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।**

राहुल भटनागर
प्रमुख सचिव, वित्त ।

शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव।

संख्या-18/2016/बी-2-1081(1)/दस-2016-244/2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्य मंत्री जी, उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, विधान परिषद/विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश।
4. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
5. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
6. वित्त विभाग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।

आज्ञा से,

लहरी यादव
वित्तीय सलाहकार (बजट)
एवं विशेष सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।